कमी की जाती है। उन्हें लड़कों की तुलना में बेहतर जीवनशैली नहीं मिल पाती।

- बाल विवाह एवं दहेज–प्रथा ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होने देती और इसे अंदर–ही–अंदर खोखला करती हैं। बालिकाओं की शिक्षा का जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिलकुल सीधा संबंध है। बेटियों का अगर बिना भेद–भाव के समान रूप से पालन–पोषण हो तो वे शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने तथा परिवार में आर्थिक योगदान देंगी। वे परिवार की विपरीत परिस्थितियों में सहारा बनेंगी, अपने बच्चों की देख–भाल बेहतर तरीके से कर सकेंगी तथा उन्हें शिक्षित बनायेंगी।
- बाल–विवाह और दहेज–प्रथा के विरूद्ध वर्तमान में विशिष्ट कानून लागू है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार लड़कों एवं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित है। इससे कम उम्र की शादी कानूनन अपराध है।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज का लेन–देन भी कानूनी अपराध है।
- नशा, बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। समुदाय एवं सरकार के समेकित प्रयास से ही यह अभियान सफल होगा।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में

शिकायत टॉल फ्री नं0

18003456268

या

15545 पर करें।

बिहार सरकार

सतत् जीविकोपार्जन योजना

जीविका से खुशहाली...

- राज्य सरकार द्वारा शराबबन्दी से पूर्व देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य समुदायों के चिहि्नत परिवारों के लिए प्रारंभ की गई योजना ।
- इस योजना के अन्तर्गत जीविका के ग्राम संगठन द्वारा चिहि्नत प्रत्येक परिवार को जीविकोपार्जन हेतु परिसम्पत्ति खरीदने के लिए औसतन 60 हजार से 1 लाख तक निवेश राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- निवेश राशि का उपयोग दुधारु पशुओं के क्रय, बकरी एवं मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, नीरा अथवा अगरबत्ती व्यवसाय एवं कृषि संबंधी अथवा अन्य स्थानीय गतिविधियों के संचालन में किया जा सकता है।
- चिहि्नत परिवारों के युवाओं का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था ।
- सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे 7 निश्चय, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित विकास मिशन की संचालित योजनाओं का लाभ।

सूचना एवं जन–संपर्क विभाग

बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

बिहार सरकार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

राज्य में नशामुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह उन्मूलन हेतु

समाज सुधार अभियान

"सुधरे व्यक्ति और परिवार होगा तभी समाज सुधार"

सूचना एवं जन–संपर्क विभाग

बिहार सरकार

नशामुक्ति अभियान

शराब के दुष्प्रभावों पर (WHO) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

शराब के दुष्प्रभावों को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की नई रिपोर्ट (ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एण्ड हेल्थ 2018) में शराब के दुष्परिणामों के विस्तृत आंकड़े दिए गए है। और मानव समाज को शराब के कुप्रभाव से निजात दिलाने के लिए एक अभियान चलाने पर बल दिया गया है।

- 2016 में शराब के कारण विश्वभर में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है जो विश्व में कुल मृत्यु का 5.3 प्रतिशत है।
- शराब के सेवन के कारण युवाओं में मृत्यु दर बूढ़े लोगों की अपेक्षा काफी अधिक है और 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5 प्रतिशत लोगों की मृत्यु शराब के कारण होती है।
- शराब के कारण मृत्यु **TB, HIV/AIDS, Diabetes** (मधुमेह) से होने वाले मृत्यु से अधिक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बिमारियों को बढ़ाती है। शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टी.बी., लीवर एवं दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता–शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ–साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है।
- आत्महत्या के कुल मामलों का 18 प्रतिशत, आपसी झगड़े का 18 प्रतिशत, सड़क दुर्घटनाओं का 27 प्रतिशत और मिर्गी के 13 प्रतिशत मामले शराब के सेवन के कारण ही होते हैं।
- लीवर की गंभीर बीमारी लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48 प्रतिशत, (**Mouth Cancer**) के कुल मामलों का 26 प्रतिशत, पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी **Pancreatitis** (पैंक्रियाज की सूजन) के 26 प्रतिशत, **TB** के 20 प्रतिशत, बड़ी आँत के कैंसर के 11 प्रतिशत, **Breast Cancer** के 5 प्रतिशत और **Hypertensive Heart Disease** के 7 प्रतिशत मामले शराब के सेवन के कारण ही होते हैं।

गाँधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया

गाँधी जी ने कहा था कि–

- शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है।
- शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है।
- यदि मुझे एक घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाय तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद करा दूँगा।

गांधी जी द्वारा बताये गये सात सामाजिक पापकर्म

1. सिद्धान्त के बिना राजनीति
2. काम के बिना धन
3. विवेक के बिना सुख
4. चरित्र के बिना ज्ञान
5. नैतिकता के बिना व्यापार
6. मानवता के बिना विज्ञान
7. त्याग के बिना पूजा

बाल–विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान

- बाल–विवाह तथा दहेज–प्रथा ऐसी कुरीतियाँ हैं जो बच्चियों तथा महिलाओं को न सिर्फ समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बाधक बन रही हैं बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही हैं।
- बाल–विवाह, लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है, वे विवाह के बाद की परिस्थितियों के लिए तैयार नही होती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- बाल–विवाह और इसके बाद कम उम्र में गर्भ–धारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नही रख पाती हैं और गर्भ–धारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणामस्वरूप ऐसी माताएँ अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती है और आगे चलकर ये बच्चे बौनेपन (**Stunted Growth**) एवं मंदबुद्धि के शिकार हो जाते है।
- दहेज–प्रथा भी एक ऐसी ही सामाजिक कुरीति है जो कानूनन अपराध होने के बावजूद समाज में व्याप्त है।
- वर पक्ष इसे लड़के पर बचपन से युवावस्था तक खर्च की गयी राशि की वसूली का माध्यम समझता है। कन्या पक्ष के लिए दहेज देना मजबूरी हो जाती है और इस क्रम में वे कर्जदार हो जाते हैं। कई परिवारों में लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग–तबाह करते हैं जो कई मामलों में आत्महत्या का कारण बनता है अन्यथा दहेज हत्या का मामला बनता है।
- दहेज–प्रथा की वजह से समाज में लड़कियों को उनके जन्म से ही बोझ समझा जाता है और उनके प्रति प्रारम्भ से ही भेद–भाव पूर्ण आचरण किया जाता है। खान–पान से लेकर उनके शिक्षा तथा स्वास्थ्य तक में